Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 117-2016/Ext.]   चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 28 जुलाई, 2016
(6 श्रावण, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11)	81
	2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)	82-84
	3. पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16) (केवल हिन्दी में)	85
भाग– II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग– III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग– IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2016

संख्या लैज.14/2016.— दि हरियाणा फ़ाइअॅर् सॅःव्–इस (अॅमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 जुलाई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11

हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2016
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009, की धारा 15 में,– 2009 का हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 15 का संशोधन।

(i) उप–धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''(5) अति उच्च भवन के निर्माण के पूरा होने पर, अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। ऐसे प्रमाण–पत्र के न होने पर, स्वामी भवन का अधिभोग नहीं करेगा, को पट्टे पर नहीं देगा या बेचेगा नहीं।''।

(ii) उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:–

''(6) भवन का स्वामी/अधिभोगी इस आशय का प्रति वर्ष स्वतः घोषणा प्रमाण–पत्र देगा कि उसके भवन/परिसर में संस्थापित अग्निशामक प्रणाली अच्छी स्थिति में कार्य कर रही है तथा भवन में कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं है। यदि भवन में कोई परिवर्धन/परिवर्तन है, तो अग्नि अनापत्ति प्रमाण–पत्र अस्तित्वहीन हो जाएगा तथा स्वामी उप–धारा (1) के अनुसार पुनरीक्षित अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यदा–कदा ऐसे भवन/परिसरों की जांच–पड़ताल कर सकता है।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2016

संख्या लैज.17/2016.— दि हरियाणा मैन्इज्मॅन्ट ऑव् सिव्इक ॲमेनिटिज ऐन्ड इन्फ्रॅस्ट्रॅक्चॅ डिफिशॅन्ट म्यूनिसिपॅल एऑरिॲज (स्पेशॅल प्रॅविश्जॅनस) ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 जुलाई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016

हरियाणा राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना में तथा उससे संबंधित तथा उनसे अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम। **1.** यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 कहा जा सकता है।

परिभाषाएं। **2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उल्लंघन के लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

(ख) ''घोषित क्षेत्र'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ;

(ग) ''आवश्यक सेवाओं'' से अभिप्राय है, जल आपूर्ति, मल निकास, सड़कें तथा गली प्रकाश ;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ङ) ''नगरपालिका क्षेत्र'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), जैसी भी स्थिति हो, में यथा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र ;

(च) ''नगरपालिका'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में यथा परिभाषित नगरपालिका ;

(छ) ''अप्राधिकृत निर्माण'' से अभिप्राय है, निर्माण जो हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में निर्मित किया गया है।

3. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के किसी क्षेत्र को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है जिसमें– घोषित क्षेत्र।

(क) 31 मार्च, 2015 से पूर्व पचास प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर संरचना हो चुकी है ; तथा

(ख) इस आशय का संकल्प सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है तथा नगर निगम की दशा में सम्बद्ध मंडल आयुक्त तथा नगरपालिका की दशा में उपायुक्त द्वारा अनुशंसा की गई है :

परन्तु सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा पहले से ही पारित तथा मण्डल आयुक्त या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुशंसित संकल्प सरकार द्वारा अधिकथित मापदंड को पूरा करता है।

4. (1) हरियाणा राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के किसी न्याय–निर्णय, डिक्री या आदेश, इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के प्रतिकूल है, तो सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, घोषित क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना की समस्या से निपटने हेतु मानकों, पालिसी मार्गदर्शकों तथा साध्य रणनीतियों को अन्तिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी। प्रवर्तन आस्थगित रखना।

(2) ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों की उल्लंघना में प्राधिकर के बिना भूमि का उप विभाजन किया है या अप्राधिकृत निर्माणों का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण किया है, के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए घोषित क्षेत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व जारी सभी नोटिसों तथा पारित प्रत्यावर्तन आदेश घोषित क्षेत्र में निलम्बित किए गए समझे जाएंगे तथा किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथा लम्बित मामलों के सिवाय, एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के दौरान आगे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सम्बद्ध नगरपालिका जिसके अधीन घोषित क्षेत्र आता है, ऐसे क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है तथा आगे घोषित क्षेत्र में अवस्थित प्लाटों या निर्माणों को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर फीस के भुगतान तथा निबंधन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, को पूरा करने के अध्यधीन नियमित किया गया समझा जाएगा। प्लाटों/निर्माणों का नियमितीकरण।

6. कोई भी व्यक्ति तब तक किसी लाभ या राहत के दावे का हकदार नहीं होगा जब तक सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन तथा शर्तें पूरी न की गई हों तथा अपेक्षित फीस, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा न करवाई गई हो। लाभ के लिए हकदारी।

7. (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। उन्मुक्ति।

(2) सरकार के विरुद्ध किसी बात द्वारा की गई या की जाने के लिए सम्भावित किसी क्षति के संबंध में, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

8. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में कोई वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। अधिकारिता का वर्जन।

9. इस अधिनियम की कोई भी बात उस क्षेत्र को लागू नहीं होगी,– छूट।

(क) जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 69), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7), भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का केन्द्रीय अधिनियम 9) या किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया गया है/ आता है;

(ख) जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन है;

(ग) जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के बोर्ड तथा निगमों द्वारा स्वामित्वाधीन है;

(घ) जो किसी विधि के अधीन गठित पब्लिक सैक्टर उपक्रमों द्वारा स्वामित्वाधीन है;

(ङ) जहां कोई औद्योगिक इकाई अवस्थित है;

(च) जहां कोई वाणिज्यिक निर्माण, माल, मल्टीप्लेक्स, होटल या दावत खाना अवस्थित है;

(छ) जहां कोई अन्य प्रकार का निर्माण, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए, अवस्थित है।

नियम बनाने की शक्ति।

10. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

11. (1) हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2013 (2013 का हरियाणा अधिनियम 13), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2016

संख्या लैज.19/2016.— दि ईस्ट पंजाब होल्ड्–इन्गज (कॅन्सॉलिडेशॅन ऐन्ड प्रिवे'न्शॅन ऑव़ फ्रैग्मे'न्टेशॅन) हरियाणा ॲमे'न्डमेन्ट ऐक्ट, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 जुलाई, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016 कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम ।

2. पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना में,– 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की प्रस्तावना का संशोधन ।

(i) ''कृषि जोतों के खण्डकरण की रोकथाम हेतु'' शब्दों के बाद, ''तथा राज्य सरकार या सरकारी स्वामित्वाधीन संस्थाओं द्वारा स्वामित्वाधीन भूमियों पर किसी अन्य विकास प्रयोजन के लिए,'' शब्द रखे जायेंगे; तथा

(ii) ''गांव'' शब्द के बाद, ''या गांवों'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, ''चकबन्दी के उद्देश्य से'' शब्दों के बाद, ''या राज्य सरकार या सरकारी स्वामित्वाधीन संस्थाओं द्वारा स्वामित्वाधीन भूमियों पर किसी अन्य विकास प्रयोजन के लिए'' शब्द रखे जायेंगे । 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 14 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में, ''विहित रीति में'' शब्दों के बाद, ''ग्राम सभा के परामर्श से तथा सम्बद्ध तहसीलदार और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में'' शब्द रखे जायेंगे । 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 19 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 36 में, ''परिवर्तित या'' शब्दों के बाद, ''आंशिक रूप से प्रतिसंहृत या'' शब्द रखे जायेंगे । 1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 36 का संशोधन ।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।